राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1594/2024

जितेन्द्र सिंह छाबडी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उच्चैन, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2024
आदेश की दिनांक : 13.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पंचायत समिति उच्चैन, जिला भरतपुर में बहाल करते हुये समस्त सेवा परिलाभ आदि प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पंचायत समिति उच्चैन, जिला भरतपुर में कार्यरत है, परंतु वर्तमान में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा सीसीए नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को जिस आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है। वह आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत है

और अपीलार्थी का अपाईटिंग अथोरिटी निदेशक कोष एवं लेखा है और उक्त निदेशक ही अपीलार्थी को निलंबित कर सकता है। जबकि आलोच्य निलंबन आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अंतरिम आदेश जारी किया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आरोप लगाये गये हैं, जिस पर निदेशक द्वारा भी अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया गया। आलोच्य निलंबन आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। उनका कथन है कि क्षेत्रीय विधायक श्री जगत सिंह के प्रभाव में आकर दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किंतु राम मीणा बनाम राजस्थान राज्य में ऐसे आदेशों को अनुचित माना है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 22.03.2024 को निलंबित किया गया है और आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, जो नियम, 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय दर्शाया गया है। जबकि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार जारी किया गया निलंबन आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पंचायत समिति उच्चैन, जिला भरतपुर में बहाल करते हुये समस्त सेवा परिलाभ आदि प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि सीईओ जिला परिषद्, भरतपुर के आदेश दिनांक 04.12.2023 द्वारा पंचायत समिति कामां का निरीक्षण के लिये कमेटी का गठन किया गया और दिनांक 12.12.2023 एवं 13.12.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों द्वारा अनियमित भुगतान किये जाने का दोषी माना गया और दिनांक 22.03.2024 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब नहीं दिया गया और दोषी पाये जाने पर नियम,

1958 के नियम 13 के अंतर्गत अपीलार्थी को निलंबित किया गया, जो निलंबन उचित नियमों एवं विधि के अनुरूप है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पंचायत समिति उच्चैन, जिला भरतपुर में कार्यरत है, आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जो असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय दर्शाया गया है। जबकि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत है, जो आदेश दिनांक 05.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया था, जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा नियम, 1958 के सीसीए नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी का अपाईटिंग अथोरिटी निदेशक कोष एवं लेखा है और उक्त निदेशक ही नियमानुसार अपीलार्थी को निलंबित कर सकता है। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को आरोप पत्र जारी किया गया हो। जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के बिंदु संख्या 2 व 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *''उक्त निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का कारण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलंबन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किए जाऐंगे।''*

> *"प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाऐंगे।"*

उपरोक्ता प्रावधानानुसार अपीलार्थी को न तो आरोप पत्र दिया गया है और जिस आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, वह असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा वेतन आदि का लाभ भी नियमानुसार प्रदान किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार आदेश जारी करने के लिये स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य